भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 710206

न्यास पत्र

यह न्यास का अनुबन्ध पत्र आज दिनांक 07-7-14 को श्री जयराम यादव, पुत्र – श्री बहादुर यादव आयु 39 वर्ष निवासी – महुई, करौंदी, जि0 देवरिया (उ0 प्र0) के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

सम्बन्ध में

1. श्री अजय कुमार यादव पुत्र – स्व0 विन्ध्याचल यादव, आयु 36 वर्ष, निवासी – ग्रा0 मड़पही, पो0 नोनापार, जि0 देवरिया (सचिव)
2. श्रीमती मीना यादव, पत्नी – श्री जयराम यादव, आयु 34 वर्ष, निवासी – महुई, करौंदी, जि0 देवरिया (उ0 प्र0) (कोषाध्यक्ष)

यह कि उल्लिखित अवस्थापक एक सामाजिक एवं जनकल्याणकारी/परोपकारी न्यास की स्थापना करने के इच्छुक

एवं उल्लिखित अवस्थापक ने रु0 20000/– (रु0 बीस हजार मात्र) का कोष न्यास के लिए दिया है,

एवं उल्लिखित अवस्थापक के द्वारा न्यास कि लिए सम्पत्ति एवं परिसम्पत्ति का दिया गया ब्यौरा निम्नवत है:

न्यासियों द्वारा इस न्यास की स्थापना का उद्देश्य यह है कि वे एक ऐसे सामाजिक न्यास की स्थापना/निर्माण करना चाहते हैं जिसके माध्यम से वे सामाजिक एवं जनकल्याणकारी/परोपकारी गतिविधियों के द्वारा जनमानस के लिए परोपकारी एवं जनकल्याणकारी कार्य कर सकें जो जनमानस के लिए लाभदायक हो। इस न्यास पत्र में उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु नियम व शर्तें नीचे वर्णित हैं,

Scanned with CamScanner

2

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 925647

एवं उपरोक्त उल्लिखित न्यासीगण एक कार्यालय का निर्माण करना चाहते हैं जिसके द्वारा वे उपरोक्त उल्लिखित न्यास के अवस्थापक के इच्छाओं की पूर्ति पूर्वयोजनात्मक व्यवस्था एवं निर्देश के अनुसार कर सकें। अतः उपरोक्त वर्णित उद्देश्य का अनुसरण इस सामाजिक एवं जनकल्याणकारी/परोपकारी न्यास के द्वारा करना चाहते है।

यह अनुबन्ध पत्र साक्षी है कि –

1. उल्लिखित अवस्थापक **अथान एजूकेशनल ट्रस्ट** नाम से एक सामाजिक एवं जनकल्याणकारी/परोपकारी न्यास की स्थापना करना चाहते हैं जिसका उद्देश्य ऊपर वर्णित नियम एवं शर्तों के अनुसार होगा।
2. चूँकि न्यास में न्यासी के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु ऊपर वर्णित न्यासीगणों ने स्वयं अपनी मंजूरी दी है अतः वे न्यासीगण न्यास के प्रथम न्यासी होंगे।
3. उल्लिखित अवस्थापक ऊपर वर्णित न्यास के कोष में संग्रहित रू0 20000/– (रू0 बीस हजार मात्र) की सूचना उपरोक्त न्यासीगणों को देगा एवं न्यासीगण उस पर अपनी संस्तुति देंगे।
4. उल्लिखित अवस्थापक न्यास के सम्पत्तियों एवं परिसम्पत्तियों के विवरण सभी न्यासीगणों के समक्ष रखेगा एवं सभी न्यासीगण उस पर अपनी संस्तुति प्रदान करेंगे एवं उक्त सम्पत्तियों एवं परिसम्पत्तियों का उपयोग ऊपर वर्णित उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जायेगा।
5. न्यास का कार्यालय अस्थायी रूप से ..(पता) **महुई, करौंदी, जि0 देवरिया (उ0 प्र0)** में स्थित होगा एवं सभी न्यासीगणों को यह अधिकार है कि वे आपसी समझौते के तहत इस न्यास के कार्यालय को अन्यत्र स्थायी रूप से स्थापित कर सकते है।
6. न्यास के सम्पत्तियों एवं परिसम्पत्तियो, न्यास के कोष एवं धन के निवेश (नगद या किसी भी स्वरूप में) आदि के रखरखाव एवं लेनदेन का अधिकार न्यास के न्यासीगणों को है एवं वे ऊपर वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास के लिए आय एवं उसकी वृद्धि को सुनिश्चित करेंगे।

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 925648

<u>न्यास के उद्देश्य :</u>

न्यास के उद्देश्य निम्नवत हैं –

1. जनमानस के कल्याण हेतु न्यास का निर्माण करना।
2. न्यास के माध्यम से सरकार से अनुमति लेकर विद्यालय, तकनीकी विद्यालय व महाविद्यालय की स्थापना करना।
3. न्यास के माध्यम से स्कूल, कालेज, शैक्षिक संस्थानों, निःशुल्क चिकित्सालयों आदि की स्थापना करना।
4. जनमानस के नैतिक आध्यात्मिक, बौद्धिक, धार्मिक एवं शारीरिक विकास हेतु कार्य करना।
5. गरीब एवं असहाय बच्चों हेतु शैक्षिक अनुदान प्रदान करना।
6. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विभिन्न नामों से उर्दू, अरबी, फारसी मदरसे कायम करना व विशेषकर ग्रामीण इलाकों में कन्या विद्यालयों की स्थापना करना।
7. समाज के अल्पसंख्यक, पिछड़े, अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग की बालक/बालिकाओं हेतु मुफ्त प्रशिक्षण जैसे – कम्प्यूटर, साफ्टवेयर, हार्डवेयर, डी०टी०पी० सिलाई, कढाई, बुनाई, पेंटिंग, फल संरक्षण रेक्सीन कला, गृहसज्जा, अचार मुरब्बा, माचिस, पत्तल, अगरबत्ती, मसाला, ब्यूटी पार्लर की जानकारी देना।
8. जरूरतमंद शैक्षिक संस्थानों को अनुदान प्रदान करना, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्टता हेतु उपाधियों एवं मेडल प्रदान करना।
9. न्यास के माध्यम से सामान्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति के अल्पसंख्यक बालक/बालिकाओं के लिए शिक्षा/तकनीकी शिक्षा का प्रबन्ध करना व उनके उत्थान के लिए कार्य करना व शिशु से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा का प्रबंध करना।
10. देशाटन द्वारा बच्चों का बौद्धिक विकास कराना व संगीत शिक्षा का ज्ञान करवाना।
11. समाज को साक्षर बनाने के लिए सर्वशिक्षा गारन्टी योजना व चलचित्र द्वारा लोगों को शिक्षा कार्यकमों का प्रचार व प्रसार करना।
12. अस्वस्थ वातावरण में रहने वाले निराश्रित बच्चों के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करना।
13. जाति, लिंग, वर्ग, भेद एवं राजनीति से दूर रहकर न्यास का नियमानुसार संचालन करना।

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 925649

14. गरीबों के लिए भोजन, कपड़ा एवं घर की व्यवस्था करना।
15. बृद्ध आश्रम बनाना और उनकी सेवा करना।
16. जरूरमंद एवं गरीब बच्चों किताबें एवं अन्य अध्ययन सामग्री प्रदान करना।
17. गरीब एवं असहाय लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
18. न्यास किसी भी आर्थिक लाभ के लिए कार्य नहीं करेगा बल्कि न्यास का उद्देश्य सेवा होगी।
19. न्यास की गतिविधि देश के बाहर न होकर देश के अन्दर ही होगी।
20. कमजोर व निर्धन विकलांग बालक एवं बालिकाओं के रहने हेतु आवासीय/अनावासीय विद्यालायों की स्थापना करना, सरकार से अनुमति लेकर निःशुल्क विकलांग चिकित्सालयों की स्थापना करना व निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान करना।
21. ग्रामीण एवं बाहरी क्षेत्रों के विकास हेतु स्वजल धारा पेयजल, नाली, सीवर की निःशुल्क व्यवस्था करना व मलिन बस्तियों की सफाई के कार्य में सहयोग करना व सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का प्रचार प्रसार निःशुल्क करना।
22. न्यास के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विभिन्न नामों से विद्यालयों/महाविद्यालयों की स्थापना करना।
23. विकलांग बालक एवं बालिकाओं को हास्टल व घर से विद्यालय लाने व पहुँचाने हेतु बस का प्रबंध करना।
24. समाज के लिए व्याप्त छुआछूत, ऊँच–नीच तथा जाति–धर्म की विषमता को निर्मूल समाप्त करने के लिए व्यापक प्रचार व प्रसार करना तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देना।
25. पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए प्रदूषण को रोकने हेतु ग्रामीण तथा बाहरी क्षेत्रों में व्यापक रूप से वृक्षारोपण को बढावा देना एवं इस पर शोध कार्य करना।
26. सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की जानकारी करवाना।
27. मनव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों तथा उ0प्र0 सरकार, भारत सरकार व अन्य राज्यों की सरकारों और विदेशी संगठनों के द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओं की जानकारी देना व उनका कियान्वयन कराना।
28. फाउण्डेशन द्वारा योग/प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार प्रसार करना तथा इन्स्टीट्यूट का स्थापना करना।

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 925650

न्यास के लाभार्थी :

न्यास की स्थापना भारतीय जनमानस के लिए की जायेगी जिसके तहत न्यास जातिगत, धार्मिक, लैंगिक आदि भेदभाव से परे होगा।

सम्पत्तियाँ :

1. न्यास के संग्रहित कोष में धन का स्थानांतरण न्यास के अवस्थापक के द्वारा किया जायेगा जैसा कि ऊपर उल्लिखित है।
2. अचल सम्पत्ति एवं अन्य सम्पत्तियों न्यास के अवस्थापक के द्वारा स्थानांतरित की जायेंगी जैसा कि ऊपर उल्लिखित है।
3. किसी भी प्रकार की नगदी, चल एवं अचल सम्पत्ति न्यास के द्वारा खरीद कर अधिगृहीत की जा सकेंगी।
4. न्यास की सम्पत्तियों में किसी भी प्रकार का संयोजन एवं अभिवृद्धि न्यास के आय से ही होगी।
5. सभी प्रकार के अनुदान, उपहार, पैत्रक सम्पत्ति/वसीयत द्वारा प्राप्त धन (नगद या किसी भी स्वरूप में) न्यासीगणों द्वारा आपसी समझौते के आधार पर स्वीकार की जायेगी।

न्यास की सम्पत्तियों एवं परिसम्पत्तियों का उपयोग न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जायेगा जैसा कि ऊपर उल्लिखित है।

न्यासीगणों की संख्या, उनके अधिकार एवं कर्तव्य :

न्यास का प्रबन्ध न्यास समिति के द्वारा संचालित होगी। उक्त न्यास में न्यासियों की न्यूनतम संख्या कम से कम 3 एवं अधिकतम संख्या 3 होगी। द्वितीय पक्ष की समिति प्रथम न्यासीगण होंगे और वे स्वयं ही न्यास समिति के निर्माणकर्ता होंगे।

प्रथम प्रबंधकीय न्यासी न्यास का अवस्थापक होगा और वह इस पद पर आजीवन बना रहेगा। प्रबंधकीय न्यासी की मृत्यु होने या उसके त्यागपत्र देने पर, अथवा न्यासीगणों द्वारा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में असफल

Scanned with CamScanner

6

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 925651

घोषित किये जाने की दशा में शेष न्यासीगणें द्वारा प्रबंधकीय न्यास समिति में से किसी एक न्यासी का चुनाव किया जायेगा।

कोई भी न्यासी (प्रबंधकीय न्यासी सहित) यदि त्यागपत्र/सन्यास लेना चाहता है तो उसे कम से कम 2 महीने पूर्व इसकी लिखित सूचना न्यास समिति को उचित कारणों के साथ देनी होगी।

किसी भी न्यासी की मृत्यु हो जाने या त्यागपत्र देने की अवस्था में यदि कोई भी न्यासी का पद रिक्त होता है तो उक्त न्यासी का रिक्त पद न्यास समिति के आपसी सहमति के आधार पर पूर्ण की जायेगी।

प्रथम प्रबंधकीय न्यासी न्यास के कार्यालय का अधिभार ग्रहण करेगा जिसका कार्यकाल उसकी नियुक्ति से एक वर्ष का होगा, एक वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त न्यास समिति यदि चाहे तो पुनः प्रबंधकीय न्यास के पद पर उक्त न्यासी को या किसी अन्य व्यक्ति को (न्यास समिति में से) नियुक्त कर सकता है लेकिन न्यास सिमिति की संख्या अनुमोदित/स्वीकृत संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कोई ऐसा न्यासी को जो कि शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हो, न्यास के कोष/सम्पत्ति के अपकरण या गलत तरीके से इस्तेमाल करने का दोशी पाया जाता है तो उसकी जॉच करने एवं सहमत होने के बाद उसे पदच्युत करने का अधिकार प्रबंधकीय न्यासी को होगा।

न्यास सिमिति के किसी भी न्यासी का पद (किन्हीं कारणों से) रिक्त होने के दौरान बाकी बचे न्यासीगण ही पूर्ण न्यास समिति के रूप में कार्यरत रहेंगे जब तक कि उक्त रिक्त पद पूर्ण न कर लिया जाये।

<u>न्यास प्रबंधन/प्रशासन एवं न्यास समिति के अधिकार :</u>
न्यास का प्रबंधन न्यास की सम्पत्तियों एवं उससे जुड़ी सभी चीजों का (जो भी न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थापित की गई हैं) का उपयोग पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से न्यास के हित में करेगा।

Yadav

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 925652

न्यास की आय एवं सम्पत्ति का उपयोग पूर्ण रूप से न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की जायेगी, आय का कोई भी भाग न्यास समिति के न्यासीगणों अथवा उनके सगे सम्बंधियों के द्वारा उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा।

न्यास का एक बैंक खाता खोला जायेगा जो कि उसके लिए अधिकृत किन्हीं 2 न्यासीगणों के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होगा।

न्यास कोष द्वारा निवेश की गई कोई भी राशि किसी भी दशा में आयकर अधिनियम 1961 के द्वारा प्रतिबंधित नहीं होगी।

किसी भी प्रकार के वाद विवाद का निस्तारण पंच निर्णय या कानूनी तौर पर किया जायेगा।

यदि कोई भी धनराशि अनुदान या उपहार के रूप में (देशी या विदेशी अनुदान) न्यास को प्राप्त होती है तो उक्त धनराशि न्यास द्वारा अनुदान की औपचारिक वैधानिकता, अनुदान का वास्तविक स्वरूप, आदि की जॉच पड़ताल के बाद ही स्वीकार की जायेगी एवं उसका उपयोग केवल न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही होगा।

न्यास के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए न्यास के नियमों एवं शर्तों में आवश्यक संशोधन का अधिकार न्यास समिति को होगा।

सभी न्यासीगण निःशुल्क रूप से कार्य करेंगे एवं उनके कार्यस्वरूप उनको किसी भी प्रकार का वेतन एवं अनुलाभ नहीं प्राप्त होगा। न्यासीगणों को केवल उन वास्तविक खर्चों का ही भुगतान किया जायेगा जो कि न्यास समिति के बैठकों आदि के मद में खर्च हुए है।

Scanned with CamScanner

8

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 925653

न्यास के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए सभी न्यासीगण सचिव एवं कोषाध्यक्ष के पद पर अपने ही बीच से किसी एक न्यासी का चुनाव करेंगे। सचिव एवं कोषाध्यक्ष की कार्यावधि चुने जाने की तिथि से एक वर्ष की होगी, एक वर्ष के उपरान्त वे न्यास समिति द्वारा पुनः निर्वाचित किये जा सकते हैं। एक ही समय मे कोई भी न्यासी (प्रबंधकीय न्यासी सहित) एक से अधिक पदों का दायित्व नहीं ले सकेगा। सचिव एवं कोषाध्यक्ष अपने कार्यों एवं दायित्वों के लिए सिर्फ प्रबंधकीय न्यासी के प्रति उत्तरदायी होगा और उसी के निर्देशानुसार कार्य करेगा।

भूमिका, उत्तरदायित्व और अधिकार :
सभी पदाधिकारियों की भूमिका, उनके उत्तरदायित्व एवं उनके अधिकार निम्नलिखित हैं। प्रबंधकीय न्यासी इनमें से किसी भी पदाधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार, दायित्व एवं अधिकार प्रदान कर सकेगा।

1. **प्रबंधकीय न्यासी :**
   प्रबंधकीय न्यासी न्यास समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। न्यास की ओर से किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक से सम्बंधित कागजात, अनुदान प्राप्ति, किसी व्यक्तिगत समझौता पत्र, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों आदि से सम्बंधित कागजातों/दस्तावेजों पर प्रबंधकीय न्यासी ही हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होगा।

   बैंक के चेकों, जमा एवं निकासी के लिए प्रबंधकीय न्यासी ही कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर के लिए अधिकृत होगा।

   यदि न्यास समिति का कोई भी न्यासी न्यास समिति के गतिविधियों के प्रतिकूल कार्य में लिप्त पाया जाता है तो उसे न्यास समिति से हटाने/निकालने/पदमुक्त करने का अधिकार केवल प्रबंधकीय न्यासी को होगा।

Yadav

Scanned with CamScanner

9

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 925654

प्रबंधकीय न्यासी यह सुनिश्चित करेगा कि न्यास एवं न्यासीगण केवल न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करें और न्यास की मर्यादा को बनाये रखें।

2. <u>सचिव :</u>

न्यास का सचिव संगठन के अभिलेख और संगठन की कार्यसूची तैयार करेगा एवं न्यास समिति की बैठकों की संक्षिप्त कार्यवाही को प्रबंधकीय न्यासी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।

सचिव न्यास के प्रतिदिन के प्रबंधकीय एवं प्रशासकीय गतिविधियों के प्रति भी उत्तरदायी होगा। सचिव न्यास से सम्बंधित सभी प्रकार के पत्राचार करेगा एवं आवश्यकतानुसार न्यास के प्रबंध समिति से सहायता भी ले सकेगा। वह न्यास से सम्बंधित सभी प्रकार की सम्पत्तियों एवं अभिलेखों के प्रति उत्तरदायी होगा। सचिव सभी प्रकार के कानूनी मामलों का न्यास की ओर से न्यास का प्रतिनिधि होगा, कानूनी प्रकरणों से सम्बंधित सभी प्रकार के कागजातों पर हस्ताक्षर करेगा, कचहरी/न्यायालय एवं सभी सरकारी कार्यालायों में न्यास की तरफ से अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा।

3. <u>कोषाध्यक्ष :</u>

न्यास का कोषाध्यक्ष न्यास का वार्षिक बजट तैयार करेगा, मासिक एवं वार्षिक खर्चों का लेखा जोखा रखेगा एवं उनका मासिक एवं वार्शिक लेखा परीक्षण न्यास समिति के नियुक्त किये गये लेखा परीक्षक से करायेगाा। तदोपरान्त लेखा परीक्षण की कॉपी प्राप्त करके उसे न्यास समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। कोशाध्यक्ष न्यास की रोकड़ बही तैयार करेगा, खर्चों के वाउचर तैयार करेगा, चन्दा प्राप्त करेगा, आय एवं व्यय का मासिक एवं वार्शिक विवरण तैयार करेगा एवं न्यास के सम्पत्तियों की पंजिका तैयार करेगा और उन्हे न्यास समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 925655

न्यास के नगदी, बॉण्ड एवं प्रतिभूतियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व कोषाध्यक्ष का होगा।

न्यास समिति की बैठक :
न्यास समिति की बैठक वर्ष के प्रत्येक तिमाही में एक बार या एक से अधिक बार (आवश्यकतानुसार) अवश्य होगी।

न्यास समिति की बैठक प्रबंधकीय न्यासी द्वारा आमंत्रित/समाहूत की जायेगी। प्रबंधकीय न्यासी की अनुपस्थिति में प्रबंधकीय न्यासी अपना पदभार उपाध्यक्ष को देगा एवं उसे न्यास समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अधिकृत करेगा। यदि प्रबंधकीय न्यासी और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं और न्यास समिति की बैठक आमंत्रित कर ली गई है तो इस दशा में न्यास समिति के न्यासी गण अपने ही बीच से किसी न्यासी का चुनाव बैठक की अध्यक्षता करने के लिए कर सकते है।

न्यास समिति की बैठक के लिए कम से कम न्यास समिति के ½ न्यासीगणों का या कम से कम 2 न्यासीगणों का होना अनिवार्य है।

न्यास समिति की बैठक के सभी निर्णय न्यासीगणों की मतों के अधिकतम संख्यात्मक निर्णय के आधार पर किया जायेगा। मतों की समानत की दशा में प्रबंधकीय न्यासी न्यासीगणों की भूमिका के आधार पर निर्णय लेगा।

न्यास समिति के बैठक की पूर्व सूचना कम से कम एक सप्ताह पूर्व सभी न्यासीगणों को दी जायेगी। उक्त सूचना पर सभी न्यासीगणों की स्वीकृति अनिवार्य होगी।

न्यास समिति के न्यासीगण न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समिति से बाहर के लोगों को भी बैठकों में बुला सकते हैं लेकिन उन्हें न्यास समिति की बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AR 925656

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

बैंक खाता :
न्यास के बैंक खाते का संचालन प्रबंधकीय न्यासी एवं कोशाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। उन दोनों की अनुपस्थित में कोई भी न्यासी बैंक खाते के संचालन हेतु न्यास समिति द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। न्यास के नाम से किसी भी बैंक में एक या एक से अधिक खाते खाले जा सकते हैं।

खाता (Account) एवं लेखा परीक्षण :

1. न्यास का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।
2. न्यास समिति न्यास की सही सही खाता बही तैयार करेगी।
3. न्यास समिति का खाते (Account) का लेखा परीक्षण वार्षिक रूप से न्यास समिति द्वारा नियुक्त किये गये किसी लेखा परीक्षक (Chartered Accountant) द्वारा किया जायेगा और उसकी प्रति वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 3 महीने पूर्व न्यास समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

संशोधन :
जबकि न्यास अपरिवर्तनीय होगी, न्यास समिति ऊपर लिखित न्याय समिति के उद्देश्यों के अतिरिक्त नियम एवं शर्तों में मामूली संशोधन कर सकते हैं। न्यास के उद्देश्यों में मामूली संशोधन न्यास समिति की वास्तविक बैठक के द्वारा की जायेगी न कि प्रसार वितरण के द्वारा।

कोई भी संशोधन तभी किया जा सकेगा जबकि वह संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नितान्त आवश्यक होगा। न्यास के मूल दस्तावेज में कोई भी संशोधन नहीं किया जायेगा। यदि कोई संशोधन करना है तो उसके लिए सर्वप्रथम आयकर आयुक्त के अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा एवं आयकर आयुक्त की अनुमति के उपरान्त अलग से दूसरा न्यास पत्र तैयार किया जायेगा जो कि मूल न्यास पत्र के अनुपूरक के रूप में होगा और मूल न्यास पत्र के साथ ही पढ़ा जायेगा।

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AR 925657

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

<u>अवस्थापक एवं उनके सगे सम्बन्धी :</u>
न्यास के सम्पत्ति एवं उसके द्वारा अर्जित आय का अंशलाभ/उपयोग (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) निम्नलिखित में से किसी को भी नहीं प्राप्त होगा :

1. अवस्थापक, प्रबंधकीय न्यासी, न्यासीगण या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वास्तविक रूप से न्यास को चन्दा दिया हो, अवस्थापक के सगे सम्बंधी ।
2. कोई भी रिलेटेड कन्सर्न, उपरोक्त में से जो कोई भी वास्तविक रूचि रखता हो।

यह न्यास अपरिवर्तनीय है।

<u>विघटन :</u>
न्यास के विघटन की दशा में न्यास का पूर्ण संचित कोष कार्यान्वित होगा और सर्वप्रधम इसका उपयोग न्यास के भुगतान के दायित्वों के लिए उपयोग किया जायेगा। न्यास की चल एवं अचल सम्पत्तियाँ किसी ऐसे न्यास या एसोसियेशन को सौंप दी जायेंगी जो समान उद्देश्य रखते हों। किसी अन्य न्यास या एसोसियेशन को सौंपने के पूर्व आयकर आयुक्त की स्वीकृति ली जायेगी।

Yadav

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 925658

घोषणा :
वर्तमान में न्यास के पास न्यास के अवस्थापक द्वारा अनुदान में दी गई अचल सम्पत्ति एवं न्यास के कोष के अतिरिक्त न्यास की अपनी कोई चल एवं अचल सम्पत्ति नहीं है, जैसा कि नीचे वर्णित है :

1. न्यास के संग्रहित कोष में चन्दे के द्वारा प्राप्त धनराशि :
2. सम्पत्ति :
3. सम्पत्ति का स्वामित्व :

Yadav

अवस्थापक के हस्ताक्षर :
(नाम पता सहित)
जयराम यादव S/o स्व० श्री बहादुर यादव
ग्रा० महुई पो० करौंदी
जि० देवरिया

Yadav

हस्ताक्षर न्यासीगण :
(नाम पता सहित)
1.

2.

गवाहों के हस्ताक्षर :
(नाम पता सहित)
1. ...जीत यादव पु० रामचन्द्र यादव
ग्रा० नौवा छपरा पो० नौचापार जि० देवरिया
2.
शिवजी पुत्र स्व० गेना गोंड सा- महुई (पिपरहिया) जि० करौंदी
जनपद देवरिया

मसौदाकर्ता कौशल किशोर गुप्त दस्तावेज लेखक देवरिया
दिनांक 07 जुलाई 2014

Scanned with CamScanner

स्टाम्प विक्रय की तारीख 04.07.14

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता 54

स्टाम्प की धनराशि 50/.66 ....

स्टाम्प विक्रेता [illegible] ला.न.323)

लाइसेन्स की अवधि-31 03-2015

कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड, देवरिया (उ० प्र०)

आज दिनांक **07/07/2014** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **37**

पृष्ठ सं. **125** से **150** पर कमांक **42**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जय प्रकाश "प्रभारी

उपनिबन्धक सदर

देवरिया

7/7/2014

Scanned with CamScanner